



## खण्ड II ♦ अंक 8 फरवरी 2006

# मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़ॉर्मेशन रिव्यू

### बैंकिंग नीति

## व्यावसायिक सुविधादाताओं/संपर्ककर्ताओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का विस्तार

अल्प सुविधाप्राप्त और बैंकसुविधा-रहित क्षेत्र की जनता को बचत और ऋण सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मध्यस्थों के रूप में गैर-सरकारी संगठनों/स्वयं सहायता समूहों (एनजीओ/ एसएचजी), व्यष्टि वित्त संस्थाओं (एमएफआई) और अन्य नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) की सेवाओं का उपयोग करें। ये मध्यस्थ व्यावसायिक सुविधादाताओं/संपर्ककर्ताओं के रूप में कार्य कर सकते हैं।

### व्यावसायिक सुविधादाता

व्यावसायिक सुविधादाता के प्रतिमान के अंतर्गत, बैंक सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक की सुविधा के स्तर के आधार पर गैर-सरकारी संगठनों/ किसान क्लबों, सहकारी संस्थाओं, समुदाय आधारित संगठनों, कार्पोरेट संस्थाओं के आइटी सुविधा से युक्त ग्रामीण आउटलेटों, डाक घरों, बीमा एजेंटों, सुचारु रूप से कार्यरत पंचायतों, ग्रामीण ज्ञान केंद्रों, कृषि क्लिनिकों/कृषि व्यवसाय केंद्रों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा खादी और ग्रामोद्योग कमीशन/खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की इकाइयों जैसी मध्यवर्ती संस्थाओं का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी सेवाओं में (i) उधारकर्ताओं की पहचान और कार्यकलापों का निर्धारण; (ii) प्राथमिक जानकारी/आंकड़ों के सत्यापन सहित ऋण आवेदनपत्रों का संग्रहण और प्रारंभिक प्रसंस्करण; (iii) बचत और अन्य उत्पादों तथा शिक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना एवं धनप्रबंध पर सलाह तथा ऋण संबंधी परामर्श देना; (iv) आवेदनपत्रों का प्रसंस्करण और बैंकों को प्रस्तुति; (v) स्वयं सहायता समूहों/संयुक्त दायित्व समूहों का संवर्धन और विकास; (vi) मंजूरी के बाद निगरानी; (vii) स्वयं सहायता समूहों/संयुक्त दायित्व समूहों/ऋण समूहों/अन्यों की निगरानी और सहायता करना; तथा (viii) वसूली के लिए अनुवर्तन शामिल हो सकते हैं।

चूंकि इन सेवाओं का उद्देश्य बैंकिंग व्यवसाय के संचालन को शामिल करना नहीं है, अतः व्यावसायिक सुविधादाता के रूप में मध्यवर्ती संस्थाओं का उपयोग करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है।

### व्यावसायिक संपर्ककर्ता

व्यावसायिक संपर्ककर्ता के प्रतिमान के अंतर्गत, सोसाइटी/न्यास अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)/व्यष्टि वित्त संस्थाएं ((एमएफआई), राज्यों के पारस्परिक आधार पर सहायता-प्राप्त सहकारी समितियां अधिनियमों अथवा सहकारी समितियां अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत समितियां, धारा 25 कंपनियां, जनता से जमा स्वीकार न करनेवाली

पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और डाक घर व्यावसायिक प्रतिनिधियों के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऐसी मध्यवर्ती संस्थाओं को व्यावसायिक संपर्ककर्ताओं के रूप में लगाने से पहले बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सुस्थापित हैं, उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है तथा स्थानीय जनता का उनमें विश्वास है। बैंक व्यावसायिक संपर्ककर्ताओं के रूप में अपने द्वारा लगायी गयी मध्यवर्ती संस्था के बारे में उस क्षेत्र में व्यापक प्रचार करें तथा अपने को गलत रूप प्रस्तुत किए जाने से बचने के लिए उपाय करें।

व्यावसायिक सुविधादाता प्रतिमान के अंतर्गत सूचीबद्ध गतिविधियों के अतिरिक्त, व्यावसायिक संपर्ककर्ताओं द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों में सम्मिलित होंगे (i) छोटे मूल्य के ऋण का संवितरण, (ii) मूलधन की वसूली/ ब्याज का संग्रहण (iii) छोटे मूल्य की जमाराशियों का संग्रहण (iv) व्यष्टि बीमा/पारस्परिक निधि उत्पादों/पेंशन उत्पादों/अन्य तीसरे लक्ष के उत्पादों की बिक्री तथा (v) छोटे मूल्य के विप्रेषणों/अन्य भुगतान लिखतों की प्राप्ति और वितरण।

### कमीशन/शुल्क

व्यावसायिक सुविधादाताओं/संपर्ककर्ताओं को बैंक यथोचित कमीशन/शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। इसकी दर और मात्रा की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। व्यावसायिक सुविधादाताओं/संपर्ककर्ताओं के साथ किये गए करार में उन्हें बैंक की ओर से सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्राहकों से कोई शुल्क आदि लेने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

### विषय सूची

	पृष्ठ
<b>बैंकिंग नीति</b>	
व्यावसायिक सुविधादाताओं/संपर्ककर्ताओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का विस्तार	1
शाखा प्राधिकरण नीति	2
निर्यात ऋण योजना की समीक्षा की गई	3
बैंकों ने पूंजीगत निधियां जुटाने के लिए अतिरिक्त विकल्प प्रदान किये	4
<b>शाखा बैंकिंग</b>	
आदाता के खाते में देय चेक तीसरे पक्ष के खाते में जमा नहीं होगा	4
<b>शहरी सहकारी बैंक</b>	
छोटे शहरी सहकारी बैंकों के लिए एसएलआर मानदंडों में छूट	4
<b>फेमा</b>	
बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार	4

## अन्य शर्तें

- चूँकि व्यावसायिक सुविधादाताओं तथा संपर्ककर्ताओं के रूप में मध्यस्थों की सेवाएं प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा विधिक तथा परिचालनगत जोखिम शामिल हैं, अतः बैंकों को इन जोखिमों को पूरी तरह ध्यान में रखना चाहिए। किफ़ायती रूप से इसे सुलभ कराने के अलावा जोखिम प्रबंधन के लिए बैंकों को टेक्नोलॉजी आधारित समाधान को अपनाने का प्रयास करना चाहिए।
- व्यावसायिक संपर्ककर्ताओं के साथ व्यवस्थाओं में उनके द्वारा नकदी धारिता पर उचित सीमा तथा अलग-अलग ग्राहक भुगतान और प्राप्तियों पर भी सीमाएं निर्धारित की जानी चाहिए।
- व्यावसायिक संपर्ककर्ताओं द्वारा किये गये सभी लेनदेनों को बैंक की बहियों में दिन की समाप्ति पर या अगले कार्य दिवस को लेखाबद्ध किया जाना चाहिए तथा दर्शाया जाना चाहिए।
- ग्राहकों के साथ किए जाने वाले सभी करारों /संविदाओं में यह स्पष्ट दर्शाया जाना चाहिए कि व्यावसायिक सुविधादाता/संपर्ककर्ता की भूल-चूक के लिए बैंक जिम्मेदार होगा।

## शिकायतों का निवारण

व्यावसायिक सुविधादाताओं और संपर्ककर्ताओं द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के संबंध में शिकायतों के निवारण हेतु बैंकों को बैंक में शिकायत निवारण प्रणाली का गठन करना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए इसका व्यापक प्रचार करना चाहिए। बैंक के पदनामित शिकायत निवारण अधिकारी के नाम तथा संपर्क नंबर की जानकारी दी जानी चाहिए और बड़े पैमाने पर उसका प्रचार किया जाना चाहिए। पदनामित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों की प्रामाणिक शिकायतों का निवारण तुरंत किया जाता है। बैंकों को चाहिए कि वे अपनी शिकायत निवारण क्रियाविधि और शिकायतों को उत्तर देने हेतु निश्चित की गयी समय सीमा अपनी वेबसाइट पर दें।

किसी शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर बैंक से संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो अपनी शिकायतों के निवारण हेतु संबंधित बैंकिंग लोकपाल कार्यालय जाने का उसके पास विकल्प होगा।

## अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) के मानदंडों का अनुपालन

अपने ग्राहक को जानिए के मानदंडों का अनुपालन करने की जिम्मेदारी बैंकों पर जारी रहेगी। तथापि बैंक अपने ग्राहक को जानिए के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के मापदंडों के भीतर लचीला दृष्टिकोण अपनाएं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके संबंध में अपने ग्राहक को जानिए कार्रवाई की गयी हो, से परिचय के अलावा बैंक मध्यवर्ती व्यक्ति से जारी पहचान प्रमाणपत्र पर भी निर्भर हो सकते हैं जैसे कि बैंकिंग संपर्ककर्ता, खंड विकास अधिकारी (बीडीओ), ग्राम पंचायत का प्रमुख, संबंधित डाक घर का पोस्ट मास्टर या बैंक को ज्ञात कोई अन्य सार्वजनिक संस्था।

## शाखा प्राधिकरण नीति

रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि नयी शाखा प्राधिकरण नीति के अनुसार, अब बैंकों को 'लाइसेंस' के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करना आवश्यक नहीं होगा। बैंकों को शाखाएं खोलने के लिए निम्नलिखित संशोधित क्रियाविधि को अनुपालन करना होगा -

- बैंकों चाहिए कि वे सभी प्रकार की शाखाएं जिनमें अनुषंगी (सेटेलाइट) कार्यालय शामिल हैं, खोलने के प्रस्तावों को फॉर्म VI के साथ रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करें। ऑफ-साईट एटीएम, प्रशासनिक/नियंत्रण कार्यालय, क्रेडिट कार्ड केंद्र तथा बैंक ऑफिस /प्रोसेसिंग सेंटर खोलने के लिए फॉर्म VI प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। रिजर्व बैंक का बैंकिंग परिचालन और

विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, प्राधिकरण/अनुमति का एक समेकित पत्र जारी करेगा जिसमें उन सभी केंद्रों/इलाकों आदि के नाम होंगे जहां शाखाएं खोलना प्रस्तावित है।

- प्राधिकरण/अनुमति का समेकित पत्र प्राप्त होने के बाद बैंक 'शाखा', जिसमें सभी प्रकार के कार्यालय तथा ऑफ-साईट एटीएम शामिल हैं, खोल सकते हैं जिनके लिए अनुमति प्रदान की गयी है। शाखा में ही खोले गये ऑन-साईट एटीएम के लिए अलग अनुमति आवश्यक नहीं है। शाखा खोलने के बाद, बैंकों को चाहिए कि वे रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को शाखा खोलने की तारीख तथा उसका संपूर्ण पता तत्काल रिपोर्ट करें।
  - बैंकों को चाहिए कि वे खोली गयी /बंद/स्थानांतरित आदि शाखाओं के ब्यौरे भारतीय रिजर्व बैंक के सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग, मुंबई तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रोफॉर्म I तथा II में तिमाही आधार पर प्रस्तुत करें। बैंक प्रोफॉर्म I तथा II में एडी शाखाओं से संबंधित विवरणियां सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को निरंतर आधार पर प्रस्तुत करें।
  - बैंकों को जारी किए गए प्राधिकरण/अनुमति के समेकित पत्र को जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रदान किया गया प्राधिकरण वैध होगा। निर्धारित अवधि के भीतर शाखाएं खोलने के लिए बैंक आवश्यक कदम उठाएं। किसी वास्तविक कारण से बैंक यदि कोई विशिष्ट शाखा खोलने में असमर्थ हो, तो वह भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से समय बढ़ाने, जो कि तीन महीनों से अधिक नहीं होगा, के लिए संपर्क कर सकता है। तथापि, ऐसे मामलों में बैंकों को प्रस्तावित शाखा का संपूर्ण पता तथा विलंब के कारण प्रस्तुत करने होंगे। जिन केंद्रों पर बैंक एक वर्ष की वैधता अवधि (अथवा 3 महीनों की पायी गयी अवधि, जैसी भी स्थिति हो) के भीतर 'शाखा' नहीं खोलता है तो प्रदान की गयी अनुमति अपने आप रद्द हो जाएगी और कोई अतिरिक्त समय बढ़ाया नहीं जाएगा। यदि बैंक उस केंद्र पर फिर भी शाखा खोलना चाहता है तो वह उसे अगली वार्षिक योजना में शामिल करे।
  - रिजर्व बैंक को वार्षिक योजना प्रस्तुत करते समय सभी श्रेणियों की शाखाओं, जिनमें ऑफ-साईट एटीएम शामिल हैं, को खोलने, बंद करने तथा स्थानांतरण से संबंधित सभी विशिष्ट प्रस्तावों को अनुबंध II में शामिल करना आवश्यक है। यह स्पष्ट किया जाता है कि समेकित प्राधिकरण/अनुमति पत्र केवल नयी शाखाएं खोलने के लिए जारी किया जाएगा।
- वर्तमान शाखाओं को स्थानांतरित (शिफ्टिंग) करने, किसी एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित करने तथा विलयन करने के संबंध में नीचे दर्शाई गई प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए :

## शाखा का स्थानांतरण (शिफ्टिंग)

- रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त किए गए बगैर बैंकों को केंद्र के भीतर किसी भी स्थान पर स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नए स्थान/पते पर शाखा प्रारंभ हो जाने पर बैंक को चाहिए कि वह संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को नए पते की सूचना देना सुनिश्चित करे। ऐसे मामलों में लाइसेंस में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय नए पते/स्थान को अभिलेखित कर लिखित रूप से इसकी पुष्टि करेंगे।
- बैंकों को, कुछ शर्तों के साथ, राज्य के भीतर किसी भी केंद्र में शाखा स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता दी गई है। तथापि, बैंक यह सुनिश्चित करें कि किसी मौजूदा शाखा को एक केंद्र से दूसरे केंद्र में स्थानांतरित करने या वार्षिक योजना में आबंटित केंद्र से दूसरे केंद्र में स्थानांतरित करने से पहले बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय

से संशोधन पत्र प्राप्त किया जाता है। यदि पूर्ववर्ती नीति के अनुसार उस शाखा के लिए बैंक को लाइसेंस जारी किया गया है तो उसे स्थानांतरित करने से पहले संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संशोधन करवा लेना चाहिए।

## परिवर्तन

### विशेषीकृत शाखा

बैंक अपनी विशेषीकृत शाखा को किसी अन्य श्रेणी की विशेषीकृत शाखा या सामान्य बैंकिंग शाखा के रूप में अपने विवेकानुसार परिवर्तन कर सकते हैं। किंतु यह सुनिश्चित किया जाए कि परिवर्तन के पश्चात् संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को तुरंत सूचित किया जाता है। लाइसेंस में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नए नाम-पते को अभिलेखित कर लेने की पुष्टि कर दी जाएगी।

### एक्सटेंशन काउंटर को पूर्ण शाखा में परिवर्तित करना

बैंकों को अपने वर्तमान एक्सटेंशन काउंटर्स को पूर्ण शाखाओं में परिवर्तित करने तथा उसी केंद्र के अंतर्गत पुनः स्थापित करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। इस संबंध में यद्यपि रिजर्व बैंक की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बैंक यह सुनिश्चित करें कि एक्सटेंशन काउंटर्स के लाइसेंस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा कर उपयुक्त संशोधित करवा लिए जाएं। क्षेत्रीय कार्यालय संशोधित लाइसेंस बैंक के अभिलेख के लिए वापस करेगा।

### ग्रामीण शाखा का अनुषंगी कार्यालय में परिवर्तन

सामान्यतः ग्रामीण शाखा का अनुषंगी (सेटेलाइट) कार्यालय में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। किंतु अपवाद स्वरूप मामलों में, जिला परामर्शदात्री समिति से अनुमोदन प्राप्त कर, ग्रामीण शाखाओं को अनुषंगी कार्यालयों में परिवर्तित करने के प्रस्तावों को वार्षिक योजना के साथ प्रस्तुत किया जाए। बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद, यदि लाइसेंस हो, तो उसे उपयुक्त संशोधन हेतु संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कर देना चाहिए।

## ग्रामीण शाखा का विलयन

ग्रामीण शाखाओं के विलयन के प्रस्ताव जिला परामर्शदात्री समिति से अनुमोदन प्राप्त कर वार्षिक योजना के साथ प्रस्तुत किए जाएं। यदि प्रस्ताव रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को विलयन की तारीख सूचित की जानी चाहिए तथा शाखा का लाइसेंस रद्द करने के लिए जमा कर देना चाहिए।

वार्षिक योजना के अंतर्गत दिए गए अनुमोदनों के अतिरिक्त, शाखाएं, विशेषकर ग्रामीण/कम बैंक सुविधावाले क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के संबंध में बैंक किसी भी अत्यावश्यक प्रस्ताव के लिए वर्ष में किसी भी समय, भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

## निर्यात ऋण योजना की समीक्षा की गई

निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए कार्यकारी दल, जो निर्यात ऋण योजना की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था, की सिफारिशों के अनुसार, रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को निम्नानुसार सूचित किया है -

### निर्यात ऋण की वर्तमान क्रियाविधि की समीक्षा

- छोटे और मझौले निर्यातकों के साथ कार्रवाई करते समय बैंकों के दृष्टिकोण के रुख में परिवर्तन की जरूरत है। बैंक इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाएं।
- बैंकों को ऐसा नियंत्रण और सूचना तंत्र स्थापित करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि विशेष रूप से छोटे और मझौले निर्यातकों के निर्यात

ऋण के आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटान किया जाता है। बैंकों में की जानेवाली आंतरिक/सहवर्ती लेखा परीक्षा में इस बात पर टिप्पणी की जानी चाहिए कि बैंकों द्वारा निर्यात ऋण के आवेदनों का निर्धारित समय सीमा में निपटान किया गया है या नहीं। बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधकों को शाखा दौरों के दौरान इस पहलू पर भी गौर करना चाहिए।

- निर्यात ऋण के आवेदनों पर कार्रवाई करते समय बैंकों को एक ही बार में सभी प्रश्न उठाने चाहिए और ऋण मंजूर करने में विलंब को टालने के लिए थोड़े-थोड़े करके प्रश्न उठाने से बचना चाहिए।
- विलंब से बचने के लिए फार्मों को सही ढंग से भरने और बैंकों को सभी अपेक्षित सूचना देने के संबंध में बैंकों से तकनीकी सहायता से लघु उद्योग/निर्यात संगठनों द्वारा विशेष रूप से दूर-दराज के केंद्रों में छोटे और मझौले निर्यातकों को उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। बैंकों को लघु उद्योग/निर्यात संगठनों द्वारा अपने परिचालन क्षेत्रों में ऐसे प्रशिक्षण सत्र आयोजित कराने में आगे आना चाहिए।
- भारतीय बैंक संघ को सूचित किया गया है कि वे भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (एफआईओ) तथा अन्य निर्यात संवर्धन एजेंसियों से परामर्श कर एक सरल ऋण आवेदन फार्म तैयार करें। भारतीय बैंक संघ द्वारा तैयार किया जानेवाला आवेदन फार्म सभी बैंकों के लिए मॉडल का कार्य करेगा।
- बैंकों को ऐसे दिशानिर्देश बनाने चाहिए जिससे कि जहां तक हो सके संपार्श्विक जमानत पर जोर न देना पड़े।
- राज्य स्तरीय शाखा समितियों (एसएलबीसी) की उप-समितियों के रूप में पुनर्गठित राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समितियों (एसएलईपीसी) को अपने-अपने राज्यों में बैंकों और निर्यातकों के बीच समन्वय बढ़ाने में बेहतर भूमिका निभानी चाहिए और निर्यात संवर्धन संगठनों को बैठकों का समन्वय करने में पहल करनी चाहिए। एसएलईपीसी के संयोजक बैंकों को इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करनी होगी।

## गोल्ड कार्ड योजना

- चूंकि बैंकों द्वारा जारी गोल्ड कार्डों की संख्या कम है, अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे सभी पात्र निर्यातकों, खास तौर से लघु और मध्यम उद्यम निर्यातकों को कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाएं और यह सुनिश्चित करें कि यह प्रक्रिया तीन महीनों की अवधि के भीतर पूरी की जाती है। बैंक इन निदेशों के अनुपालन की पुष्टि भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय को करें तथा उनके द्वारा जारी किये गये गोल्ड कार्डों की कुल संख्या तथा छोटे और मझौले निर्यातकों एवं निर्यातोन्मुख यूनियों और एसईजेड यूनियों को जारी गोल्ड कार्डों की संख्या निर्दिष्ट करें। यह सूचना ऊपर उल्लिखित 3 महीने की अवधि की समाप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाए।
- सभी बैंकों द्वारा इस योजना के अधीन परिकल्पित गोल्ड कार्ड जारी करने की सरल क्रियाविधि कार्यान्वित की जानी चाहिए। भारतीय बैंक संघ से सरल आवेदन फार्म तैयार करने का अनुरोध किया गया है जिसे सभी बैंकों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। बैंकों के पास पहले से उपलब्ध सूचना/ब्योरे निर्यातकों से न मांगे जाएं।
- भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम की पैकिंग ऋण गारंटी-क्षेत्रीय योजनाओं से सभी पात्र गोल्ड कार्ड धारक निर्यातकों को छूट देने के संबंध में गोल्ड कार्ड योजना के में दिये गये अनुदेशों को लागू करने के लिए बैंक उनके पिछले (ट्रेक) रिकार्ड के आधार पर विचार करें।

**गैर-स्टार निर्यातकों के लिए निर्यात ऋण**

बैंकों को छोटे और मझौले उद्यम निर्यातकों की ऋण समस्याओं को हल करने के लिए क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों और पर्याप्त निर्यात ऋण वाली प्रमुख शाखाओं में नोडल अधिकारी नियोजित करने चाहिए।

**अन्य मुद्दे**

- रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दरें उच्चतम दरें हैं। चूंकि बैंकों को कम ब्याज दरें लगाने की स्वतंत्रता है, अतः बैंक, निधियों की लागत, मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं, जोखिम बोध आदि को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट उच्चतम दरों से कम दरों पर निर्यात ऋण प्रदान करने पर विचार करें।
- बैंकों को चाहिए कि वे गैर-निर्यातक उधारकर्ताओं को विदेशी मुद्रा ऋणों की तुलना में निर्यातकों की विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें।

**बैंकों ने पूंजीगत निधियां जुटाने के लिए अतिरिक्त विकल्प प्रदान किये**

बैंकों को विद्यमान विधि ढांचे के भीतर कारोबार की बढ़ती हुई अपेक्षाओं तथा बासेल II की अपेक्षाओं दोनों को पूरा करने की दृष्टि से पूंजीगत निधियां जुटाने के लिए अतिरिक्त विकल्प प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि बैंक निम्नलिखित अतिरिक्त लिखतों के निर्गम से अपनी पूंजीगत निधियों को बढ़ा सकते हैं :

- टियर 1 पूंजी के रूप में शामिल करने के लिए पात्र नवीन स्थायी ऋण लिखत ;
- उच्चतर टियर 2 पूंजी के रूप में शामिल करने के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखत ;
- समय-समय पर प्रचलित कानूनों के अधीन, टियर 1 पूंजी के रूप में शामिल करने के लिए पात्र स्थायी असंचयी अधिमानित शेयर ; तथा
- समय-समय पर प्रचलित कानूनों के अधीन, टियर 2 पूंजी के रूप में शामिल करने के लिए प्रतिदेय संचयी अधिमानित शेयर।

नवीन स्थायी ऋण लिखत और न्यूनतम विनियामक अपेक्षाएं सूचित करने वाले ऋण पूंजी लिखतों पर लागू होने वाले दिशानिर्देश रिजर्व बैंक की वेबसाइट [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है। स्थायी असंचयी अधिमानित शेयर और प्रतिदेय संचयी अधिमानित शेयरों के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश, जैसा उचित होगा, यथासमय अलग से जारी किये जायेंगे। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है कि उनके द्वारा निर्गमित लिखत इन दिशानिर्देशों के साथ पूरी तरह अनुरूप हैं।

**शाखा बैंकिंग****आदाता के खाते में देय चेक तीसरे पक्ष के खाते में जमा नहीं होगा**

रिजर्व बैंक ने बैंकों को निदेश दिया है कि वे आदाता ग्राहक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए आदाता खाता चेकों का समाहरण न करें। रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि जहां आहरणकर्ता/आदाता बैंक को वसूली के आगम को आदाता के खाते के अलावा किसी अन्य खाते में जमा करने का अनुदेश

देता है वहां उक्त अनुदेश आदाता खाता चेक के अपेक्षित अंतर्निहित स्वरूप के विरुद्ध होने के कारण बैंक को आहरणकर्ता/आदाता से कहना चाहिए कि चेक या उसपर आदाता खाता अधिदेश को आहरणकर्ता द्वारा वापस लिया जाए।

**शहरी सहकारी बैंक****छोटे शहरी सहकारी बैंकों के लिए एसएलआर मानदंडों में छूट**

रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि एक शाखा-सह-प्रधान कार्यालय वाले अथवा एक ही जिले के अंतर्गत अनेक शाखाओं वाले गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों, जिनकी आधार जमाराशि 100 करोड़ रुपये अथवा उससे कम हो, उनकी मांग एवं मीयादी देयताओं के 15 प्रतिशत तक निर्धारित आस्तियों में एसएलआर बनाए रखने से छूट दी जाएगी बशर्ते वे अपेक्षित राशि भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंकों तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ब्याज प्रदायी जमाराशियों के रूप में जमा करें।

छूट के लिए पात्रता के प्रयोजन से शहरी सहकारी बैंकों की आधार जमाराशि का निर्धारण तत्काल पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में मांग एवं मीयादी देयताओं के पाक्षिक औसत के आधार पर किया जाएगा। यह छूट तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2008 तक लागू रहेगी। इस अवधि के दौरान शहरी सहकारी बैंकों को मानव संसाधन तथा प्रौद्योगिकीय स्तरोन्नयन सहित पर्याप्त आधारभूत संरचना, जोखिम प्रबंधन की प्रथाओं का निर्माण करना चाहिए ताकि बाजार से जुड़े जोखिम को कम किया जा सके।

आपको याद होगा कि अप्रैल 2001 में शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 24 के अंतर्गत आस्तियों की एक निश्चित प्रतिशतता सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में बनाये रखें। इन निदेशों के अनुसार, रिजर्व बैंक को शहरी सहकारी बैंकों तथा उनके महासंघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए कि कई शहरी सहकारी बैंकों को सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच या इस मामले में विशेषज्ञता के अभाव में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने में कठिनाइयां हो रही हैं।

**फेमा****बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार**

हाल की गतिविधियों और विभिन्न संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि विनिर्माण कार्यकलापों में लगी बहुराज्य सहकारी समितियों को बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटाने की अनुमति दी जाए। रिजर्व बैंक विनिर्माण कार्यकलाप में लगी हुई बहुराज्य सहकारी समितियों के बाह्य वाणिज्यिक उधार के प्रस्ताव पर अनुमोदन मार्ग के तहत विचार करेगा, बशर्ते-

- सहकारी समिति वित्तीय रूप से शोधक्षम है;
- सहकारी समिति अद्यतन लेखा-परीक्षित तुलनपत्र प्रस्तुत करती है; और
- रिजर्व बैंक के पहली अगस्त 2005 के परिपत्र के पैरा 1 (ख) में उल्लिखित किये अनुसार प्रस्ताव, मान्यताप्राप्त उधारकर्ता, अनुमत अंतिम उपयोग, औसत परिपक्वता अवधि, समग्र लागत सीमा जैसे बाह्य वाणिज्यिक उधार के मार्गदर्शी सिध्दांतों के अन्य सभी मानदंडों का अनुपालन करता है।